IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
email:seproject@upavp.in

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या 1286 / ए0वी / 1140 दिनांक 09-06-2020

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मा0 अध्यक्ष (म0) के अनुमोदन के कम में निम्नलिखित कार्य की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वी0 एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना का नाम	परियोजना की लागत (रू0 लाख में)	लेखा शीर्षक
1	018036	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी के किफायती आवास (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत ग्राम देवानन्दपुर, तहसील-सदर, जनपद-रायबरेली में 528 नग (जी+3) दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य।	3208.85	350/01/2020-21

1- कार्य की ई-निविदा का नियमानुसार व्यापक-प्रसार कराते हुए एवं परिषद की बेवसाइट पर प्रसारित किया जायेगा।
2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषदादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
3- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
4- स्वीकृत परिकल्पना की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- कार्य परिषद की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही कराया जायेगा।
6- प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों को अधार नहीं माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
7- कार्यो में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सक्षम स्तर/परिषद में एप्रूब्ड ब्राण्ड के अनुसार प्रयोग की जाये। यदि किसी सामग्री का परिषद द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड नही है तो कम से कम तीन ख्याति प्राप्त निर्माताओं की सामग्री का उल्लेख बी0ओ0क्यू0 में अवश्य किया जाये।
8- परियेाजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
9- खण्ड द्वारा लेबर सेस व जी0एस0टी0 आदि की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
10- एन0जी0टी0 सम्बन्धित सभी नियमों का अनुपालन किये जाने का उत्तदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
11- रेरा में स्वीकृत पंजीकरण अवधि के अन्दर समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए भवन रहने योग्य अवश्य पूर्ण कर लिये जाये।
12- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
13- निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता का अवश्य परीक्षण करा लिया जाये एवं उचित गुणवत्ता के पानी का प्रयोग किया जाये।

09/06/2020
(वी0बी0सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)

पृ0सं0: 1286 / उक्त / 1140 दिनांक: 09-06-2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव,आ0आ0/अ0आ0आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभि0, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
3. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड-3, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
5. गार्ड फाइल हेतु।

09/06/2020
अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)